

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-Mail: raodfb@gmail.com, Tel/Fax No. 0141-2223074

क्रमांक: प.6(ड)लेखा / RTIDF / डीएलबी/ 2014-15 / पाट-ा/5853

दिनांक: 30/3/2019

— स्वीकृति आदेश :—


राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 14वीं बैठक दिनांक 27.02.2019 के कार्यवाही परिवरण क्रमांक 3498 दिनांक 07.03.2019 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 14.4.1 में लिये गये निम्नलिखित को अनुसरण में जोधपुर बस सर्विसेज लि. जोधपुर को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परिवहन सेवा के संचालन हानि के विरुद्ध राशि रूपये 2.23 लाख (अक्षरे रु. दो लाख तीन हजार मात्र) जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड, जोधपुर के निजी निकाय ल्खात में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विकलेय मद	(राशि लाख रु. में)
मार्ग संख्या - 29 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएँ 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [08] - जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	जारी की जाने वाली राशि 1.58
मार्ग संख्या - 51 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएँ 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [09] - जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	0.37
मार्ग संख्या - 30 2217- शहरी विकास 05 - अन्य शहरी विकास योजनाएँ 190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकरणों को सहायता (02) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [10] - जोधपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (अनुसूचित जनजातियों के लिए) 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राज्य निधि	0.28
कुल योग	2.23

उक्त राशि हस्तान्तरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी की गई है:-

- जोधपुर बस सर्विस लिंग राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि स्वीकृत की गई है।
- जोधपुर बस सर्विस लिंग राशि का व्यय करते समय राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों की पालना भी किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- जोधपुर बस सर्विस लिंग जोधपुर भुगतान करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेगा कि आरटीआईडीएफ के दिशा-निर्देशों की अकरण पूर्ण पालना की गई है।
- इस राशि को दैव अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जा सकेगा, राशि का पैदा खाते से आहरण नियमों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जा सकेगा।
- जेबीएसएल आगे राशि रिलिज करवाने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र/अकेशित लेखे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
- जेबीएसएल आय में वृद्धि तथा संचालन हानि न्यूनतम करने का प्रयास करेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आईडी क्रमांक 171900226 दिनांक 29.03.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 30/3/2019

क्रमांक: प.6(ड)लेखा / RTIDF / डीएलबी/ 2014-15 / पाट-ा/5854-866

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. महालेखाकर (लेखा एवं हक) / लेखा परीक्षा—प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव अति मुख्य सचिव वित्त विभाग, राज० जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
06. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
07. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रु. 2.23 लाख (अक्षरे रु. दो लाख तैईस हजार मात्र) जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड के निजी निषेध खाता में राशि हरतान्तरित करने का श्रम करावें।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज० जयपुर।
09. कोषाधिकारी, काष कार्यालय(शहर), जोधपुर।
10. आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर।
11. कार्यकारी निदेशक, जोधपुर बस सर्विस लि, जोधपुर।
12. प्रभारी वेबसाइट/समन्वयक सी.ए.आर. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. प्रभारी अक मिलान शाखा।


 (एस. आर. मीणा)
 परियोजना निदेशक